



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 576]
No. 576]नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2006/ज्येष्ठ 12, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2006/JYAISTHA 12, 1928

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2006

का.आ. 851(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ छियासीवां संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,

(1) प्रथम अनुसूची में,

(क) "8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक तथा तत्संबंधी उपशीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"8क. संस्कृति मंत्रालय"

(ख) "38. पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक तथा तत्संबंधी उपशीर्षकों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"38. पर्यटन मंत्रालय"

(ग) "40क. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"40क. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय"

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" शीर्षक तथा तत्संबंधी उपशीर्षकों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक तथा तत्संबंधी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"संस्कृति मंत्रालय"

1. पुस्तकालय विकास संबंधी नीतिगत मामले।
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली; रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली; खुदाबख्श औरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना; राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता; भारत कार्यालय पुस्तकालय, लंदन।
3. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ।
4. राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मिशन।
5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली; पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय; ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों का उत्खनन और खोज।
6. ऐतिहासिक और पुरातत्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान।
7. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय।

8. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ।
9. गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली; नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली; जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास; मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता; भारतीय युद्ध स्मारक।
10. ललित कलाओं और अभिनय कलाओं की अभिवृद्धि।
11. साहित्य अकादमी; ललित कला अकादमी; संगीत नाटक अकादमी।
12. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कोलकाता; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; राष्ट्रीय नव कला दीर्घा, नई दिल्ली, मुंबई और बंगलौर; विक्टोरिया स्मारक हाल, कोलकाता; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल; राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता; रत्न और आभूषण संग्रहालय; संग्रहालयों का सामान्य विकास।
13. राष्ट्रीय कला संरक्षण और संग्रहालय-विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली।
14. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं।
16. निर्धनावस्था वाले ऐसे लेखकों और कलाकारों अथवा उनके उत्तरजीवियों, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन नहीं आते, को वित्तीय सहायता; सांस्कृतिक संगठनों और संस्थाओं को अनुदान; इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां, जिनमें विदेशी सरकारों और विदेशी अधिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां भी हैं; बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक काम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए अनुदान।
17. पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध पूर्त कार्य और धार्मिक विन्यास।
18. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां, जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अधिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी हैं।
19. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन।
20. परंपरागत संस्कृति और लोकसंस्कृति की सुरक्षा।
21. भारतीय-विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान।
22. विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और मैत्री संधियां।
23. विदेशों से उपहारस्वरूप प्राप्त पुस्तकों का वितरण।
24. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति।
25. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन।
26. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी हैं)।
27. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना।
28. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना।
29. भारतीय गौरव ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद।
30. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ आदान-प्रदान और ऐसे आदान-प्रदान के लिए करार।
31. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन।
32. पुरावस्तुओं का निर्यात।
33. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश।
34. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों, संगीतज्ञों, आदि का आदान-प्रदान।
35. विदेशों में भारतीय पर्व।
36. गजेटियरों का पुनरीक्षण।
37. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियों और वार्षिकोत्सवों और घटनाओं को मनाना।
38. सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।
39. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियंटलिस्ट्स।
40. भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता।
41. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; गजेटियर्स; एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता।
42. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय।
43. रवीन्द्र रंगशाला।
44. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र।
45. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद।
46. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली।
47. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय नाट्यशाला।
48. राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि।
49. गांधी शांति पुरस्कार।
50. केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ; केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह; नव नालन्दा महाविद्यालय, नालन्दा।
51. कला क्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई।
52. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन, अर्थात् :-
(क) भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 (1878 का 6);

- (ख) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52);
- (ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24);
- (घ) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 7);
- (ङ) पुस्तक और समाचारपत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 (1954 का 27);
- (च) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) (जहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकों और सूची-पत्रों का प्रदाय करने का संबंध है);
- (छ) लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69)।";
- (ख) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "ख. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग" उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 45 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
- "46. इंजीनियरी व्यावसायिक सेवाओं का विनियमन";
- (ग) "ग्रामीण विकास मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत "ख. भूमि संसाधन विभाग" उपशीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 15 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
- "16. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)";
- (घ) "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 6 का लोप किया जाएगा।
- (ङ) "इस्पात मंत्रालय शीर्षक" के अंतर्गत, -
- (क) प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "4. निम्नलिखित उपक्रमों जिनके अन्तर्गत उनकी समनुषंगियां भी हैं, से संबंधित मामले, अर्थात्—
- (i) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);
- (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);
- (iii) कुद्रमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल);
- (iv) मैगनीज और (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल);
- (v) नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी);
- (vi) मैटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (एमईसीओएन);
- (vii) स्पॉज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल);
- (viii) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल);
- (ix) भारत रिफ़ैक्ट्रीज लिमिटेड (बीआरएल);

- (x) मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन (एमएसटीसी);
- (xi) फ़ैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड; तथा;
- (xii) बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज।";
- (ख) विद्यमान प्रविष्टि 5 का लोप किया जाएगा।
- (च) "पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक तथा तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

"पर्यटन मंत्रालय:

1. पर्यटन का विकास और संवर्धन।
 2. पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
 3. भारत पर्यटन विकास निगम और स्वायत्त संस्थान।";
- (छ) "शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय"
- (ज) "महिला और बाल विकास मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 25 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
- "26. अनाथों तथा अनाथालयों सहित जरूरतमंद बच्चों की देखभाल तथा उनके विकास के लिए संस्थागत तथा गैर-संस्थागत सेवाएं।";

आ.प.जै. अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2006-मंत्रि.]

के.एल. शर्मा, उप सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2006

S.O. 851(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two Hundred and Eighty Sixth Amendment Rules, 2006

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) In the First Schedule,—

(A) after the heading "8. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Upbhokta Mamle, Khadya aur Sarvajanik

Vitaran Mantralaya)” and the sub-headings relating thereto, the following heading shall be inserted, namely :—

“8A. Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya)”;

- (B) for the heading “38. Ministry of Tourism and Culture (Paryatan aur Sanskriti Mantralaya)” and the Sub-headings relating thereto, the following heading shall be substituted, namely :—

“38. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya)”.

- (C) for the heading “40A. Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar Aur Garibi Upshaman Mantralaya)” the following heading shall be substituted, namely :—

“40A. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (Awas aur Shahari Garibi Upshaman Mantralaya)”.

- (2) In the Second Schedule,—

- (A) after the heading “Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Upphokta Manie, Khadya Aur Sarvajanic Vitaran Mantralaya)” and the sub-headings relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“Ministry of Culture
(Sanskriti Mantralaya)

1. Policy matters regarding Library development.
2. National Library, Kolkata; Central Reference Library, Kolkata; Central Secretariat Library, New Delhi, Rampur Raza Library, Rampur; Delhi Public Library, New Delhi; Khudabaksh Oriental Public Library, Patna; Raja Rammohan Roy Library Foundation, Kolkata; India Office Library, London.
3. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property; Lucknow.
4. National Mission for Preservation of Manuscripts.
5. Archaeological Survey of India, New Delhi; Archaeological Site Museums; Excavation and exploration of historical and archaeological remains.
6. Grants to Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.

7. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

8. History of Freedom Movement.

9. Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi; Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi; Jallianwala Bagh National Memorial Trust; Maulana Abdul Kalam Azad Institute for Asian Studies, Kolkata; Indian War Memorial.

10. Promotion of Fine Arts and Performing Arts.

11. Sahitya Akademi; Lalit Kala Akademi; Sangeet Natak Akademi.

12. National Museum, New Delhi; Indian Museum, Kolkata; Salar Jung Museum, Hyderabad; Allahabad Museum, Allahabad; National Gallery of Modern Art, New Delhi, Mumbai and Bangalore; Victoria Memorial Hall, Kolkata; India Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal; National Council of Science Museum, Kolkata; Museum of Gems and Jewellery; General Development of Museums.

13. National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi.

14. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

15. Open air theatres in rural areas and theatres in State Capitals.

16. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of Ministry of Information and Broadcasting; Grants to cultural organizations and institutions; Scholarships and Fellowships including those offered by foreign Governments and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department; Grants for setting up Multipurpose Cultural Complex.

17. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

18. Scholarships, including those offered by foreign Governments and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.

19. Publication of rare manuscripts.

20. Safeguarding of Traditional Culture and Folklore.
21. Grants to Indo-Foreign Cultural Societies.
22. Cultural Agreements, Cultural Exchange Programmes (CEP) and Friendship Treaties with foreign countries.
23. Distribution of gift books received from abroad.
24. Appointment of Cultural Attaches abroad.
25. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.
26. Individuals (including cultural lecturers) sponsored by Government of visits abroad.
27. Presentation of books to foreign countries.
28. Establishment of libraries abroad.
29. Translation of Indian classics into foreign languages.
30. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.
31. Presentation of Indian art objects abroad.
32. Export of antiquities.
33. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.
34. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.
35. Festivals of India abroad.
36. Revision of Gazetteers.
37. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities and events.
38. Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi.
39. International Congress of Orientalists.
40. Anthropological Survey of India, Kolkata.
41. National Archives of India, New Delhi; Gazetteers; Asiatic Society, Kolkata.
42. Indira Gandhi Reshtriya Manav Sangrahalaya.
43. Rabindra Rangshalla.
44. Zonal Cultural Centres.
45. National Council of Culture.
46. Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi.
47. National School of Drama, New Delhi; National Theatre.
48. National Culture Fund.
49. Gandhi Peace Prize.
50. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath; Central Institute of Buddhist Studies, Leh; Nav Nalanda Mahavidyalaya, Nalanda.
51. Kalakshetra Foundation, Chennai.
52. Implementation and enforcement of the following Acts, namely :—
 - (a) The Indian Treasure-Trove Act, 1878 (6 of 1878);
 - (b) The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972);
 - (c) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);
 - (d) The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904);
 - (e) The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954);
 - (f) Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) (in so far as supply of books and catalogues to Central Government is concerned);
 - (g) The Public Record Act, 1993 (69 of 1993);
- (B) under the heading "Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)" under the sub-heading "B. Department of Secondary and Higher Education (Madhyamik Aur Uchchar Shiksha Vibhag)", after entry 45, the following entry shall be inserted, namely :—

"46. Regulation of Engineering Professional Services";
- (C) under the heading "Ministry of Rural Development (Gramin Vikas Mantralaya)", under the sub-heading "B. Department of Land Resources (Bhumi Sansadhan Vibhag)", after the entry 15, the following entry shall be inserted, namely :—

"16. The Registration Act, 1908 (16 of 1908);
- (D) under the heading "Ministry of Social Justice and Empowerment (Samajik Nyaya Aur Adhikarita Mantralaya)" entry 6 shall be omitted.

- (E) under the heading “Ministry of Steel (Ispat Mantralaya),—
- (a) for entry 4, the following shall be substituted, namely :—
- “4. Matters relating to the following undertakings including their subsidiaries, namely—
- (i) Steel Authority of India Limited (SAIL);
- (ii) Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL);
- (iii) Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL);
- (iv) Manganese Ore (India) Limited (MOIL);
- (v) National Mineral Development Corporation Limited (NMDC);
- (vi) Metallurgical and Engineering Consultants (India) Limited (MECON);
- (vii) Sponge Iron India Limited (SIIL);
- (viii) Hindustan Steelworks Construction Limited (HSCL);
- (ix) Bharat Refractories Limited (BRL);
- (x) Metal Scrap Trade Corporation (MSTC);
- (xi) Ferro Scrap Nigam Limited; and
- (xii) Bird Group of Companies.”;
- (b) the existing entry 5 shall be omitted.
- (F) for the heading “Tourism and Culture (Paryatan Aur Sanskriti Mantralaya)” and the entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be substituted, namely :

“Ministry of Tourism
(Paryatan Mantralaya)

1. Development and Promotion of Tourism.
2. International Cooperation in the field of Tourism.
3. India Tourism Development Corporation and Autonomous Institutes.”;

- (G) for the heading “Ministry of Urban Employment and Poverty Alleviation (Shahari Rozgar Aur Garibi Upshaman Mantralaya)”, the following heading shall be substituted, namely :—

“Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (Awam Aur Shahari Garibi Upshaman Mantralaya)”;

- (H) under the heading “Ministry of Women and Child Development (Mahila Aur Bal Vikas Mantralaya)” after entry 25, the following entry shall be inserted, namely :—

“26. Institutional and non-institutional services for the care and development of children in need including orphans and orphanages.”.

A.P.J. ABDUL KALAM
President

[F. No. 1/22/1/2006-Cab.]
K. L. SHARMA, Dy. Secy.